संख्या-15/20/95-का-4-2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भीनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक:: 30 नवम्बर, 2002

विषय- लोक सेवा आयोग को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 1996, 28 मई, 1997 20 मई, 1998, 12 अगस्त, 1999, 16 सितम्बर, 1999 एवं दिनांक 26 अक्टूबर, 2002 में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें अभी तक अधियाचन प्रेषित नहीं किए गये हैं ।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों के प्राविधानानुसार सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए सुस्पष्ट अधियाचन स-समय लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । सम्मिलित राज्य/ अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2003 के अधियाचन निर्धारित प्रारूप पर, आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए, सेवा नियमावलियों की प्रति के साथ प्रत्येक दशा में दिनांक 07 दिसम्बर 2002 तक लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि लोक सेवा आयोग द्वारा " सम्मिलित राज्य / अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2003 का विज्ञापन पूर्व निर्धारित दिनांक 01 जनवरी, 2003 को प्रकाशित किया जा सके ।

भवदीय,

(राजेन्द्र भीनवाल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-15/20/95-( )-का-4-2002, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-351/1/ ई-1/2002-2003, दिनांक 26 नवम्बर, 2002 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।